बिहार सरकार
श्रम संसाधन विभाग

पत्र संख्या–2 / स्कीम–10–30 / 2017 श्र0सं0–   / पटना, दिनांक.......................

सेवा में,

अवर सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी,
श्रम संसाधन विभाग, नियोजन भवन, बिहार, पटना।

विषय– मुख्य शीर्ष 2230–श्रम तथा रोजगार, उप मुख्य शीर्ष–01–श्रम, लघु शीर्ष–101–औद्योगिक संबंध, उप शीर्ष–0109–कम्प्यूटरीकरण एवं आधुनिकीकरण, विषय शीर्ष–5201, मशीनें एवं उपस्कर मांग संख्या–26, के अंतर्गत विपत्र कोड–26–2230011010109 स्कीम कोड–LAB–5229 के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2019–20 में उपबंधित राशि से श्रम संसाधन विभाग, नियोजन भवन, बेली रोड, पटना के सभी सात तल्लों (भूतल+छः तल्लों) पर CCTV CAMERA अधिष्ठापित करने के लिये कुल 65.59384 लाख रुपये (पैंसठ लाख उनसठ हजार तीन सौ चौरासी रुपये) मात्र की निधि का आवंटन।

प्रसंगः– विभागीय स्वीकृत्यादेश पत्रांक 241 दिनांक 07/2/2020

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के आलोक में वित्त विभागीय परिपत्र संख्या 96 वि0(2) दिनांक 03.01.2008 तथा वित्त विभागीय परिपत्र संख्या 2190 वि0 (2) दिनांक 17.03.2008 में निहित प्रावधानों के अनुसार योजनान्तर्गत मुख्य शीर्ष–2230–श्रम तथा रोजगार, उप मुख्य शीर्ष–01–श्रम, लघुशीर्ष–101–औद्योगिक संबंध, उप शीर्ष–0109–कम्प्यूटरीकरण एवं आधुनिकीकरण, विषय शीर्ष–0109.52.01 मशीनें एवं उपस्कर–कार्यालय, मांग संख्या–26 के अंतर्गत विपत्र कोड–26–2230011010109 स्कीम कोड LAB- 5229 के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2019–20 में प्राप्त कुल उपबंध रू0 500.00 लाख रूपये (पाँच करोड़ रूपये) मात्र में से बेली रोड, पटना स्थित नियोजन भवन के सभी सात तल्लों (भूतल+छः तल्लों) पर CCTV CAMERA अधिष्ठापित करने के लिये कुल 65. 59384 लाख रुपये (पैंसठ लाख उनसठ हजार तीन सौ चौरासी रुपये) मात्र निधि का आवंटन निर्गत किया जाता है, जिसमें 7 प्रतिशत निगम की मार्जिन भी शामिल है।

2– इस राशि की निकासी वित्त विभागीय परिपत्र संख्या 2561 / वि0 (2) दिनांक 17.04.1998 में निहित प्रावधानों के आलोक में की जायेगी।

3– इस आवंटित राशि से किसी भी परिस्थिति में अधिक व्यय नहीं किया जाय। यदि इस आवंटित राशि से अधिक व्यय किया जाता है, तो वह अनियमितता होगी एवं सम्पूर्ण जबावदेही निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी पर होगी।

4– इस राशि का व्यय उसी मद में किया जायेगा, जिसके लिए यह राशि आवंटित की जा रही है।

5– प्रत्येक माह में निकासी की गयी राशि का व्यय प्रतिवेदन इकाईवार कोषागार प्रमाणक संख्या एवं तिथि सहित अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध करायी जाय, ताकि महालेखाकार, बिहार, पटना से लेखा सत्यापन किया जा सके।

6– अवर सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, सरकार पक्ष, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना इस राशि की अग्रिम निकासी कर बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से इसे बेल्ट्रॉन, पटना को उपलब्ध करायेंगे।

7– स्कीम की स्वीकृति के प्रस्ताव पर संचिका संख्या 2 / स्कीम–10–30 / 2017 श्र0सं0 के पृ0 संख्या–46 / टि0 पर सक्षम प्राधिकार अपर मुख्य सचिव, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना का अनुमोदन दिनांक 25.12.2019 को प्राप्त है।

8– उक्त राशि के अग्रिम निकासी के प्रस्ताव पर संचिका संख्या 2 / स्कीम–10–30 / 2017 श्र0सं0 के पृ0 संख्या– 46 / टि0 पर माननीय विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

कृपया उपर्युक्त निदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जय।

ह0 / –
(सूर्यकान्त मणि)
सरकार के उप सचिव

1|VAwaatan| 2011-15

ज्ञाप संख्या–2 / स्कीम–10–30 / 2017 श्र0सं0.............. पटना, दिनांक........................
प्रतिलिपि–महालेखाकार, बिहार, पटना / वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0 / –
उप सचिव
श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक–2 / स्कीम–10–30 / 2017 श्र0सं0– 05 / पटना, दिनांक 07/2/2020

प्रतिलिपिः–1. कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।

2. अपर मुख्य सचिव के आप्त सचिव, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना / आई0टी0 मैनेजर, श्रम संसाधन विभाग (विभागीय वेवसाईट पर अपलोड करने हेतु) / उप सचिव, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।
3. वित्त विभाग, व्यय शाखा, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।
4. अवर सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, सरकार पक्ष, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।
5. लेखा शाखा, सरकार पक्ष, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना को (दो प्रतियों में) सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।
6. प्रबन्ध निदेशक, बेल्ट्रॉन को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।

Suryakant mani 6/2/2020
उप सचिव
श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना।